

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।



लोकभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या- 28343/जी0एस0(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020

देहरादून : दिनांक : 06 फरवरी, 2026

आदेश

एतद्वारा, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-9 की उपधारा-(4) के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या-27778, दिनांक 17 जनवरी, 2026 को अतिक्रमित करते हुये हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अधिनियम-2014 (यथा संशोधन अधिनियम, 2020) की धारा-10 की उपधारा-(4) में कुलपति चयन के सम्बन्ध में गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से धारा-10 की उपधारा-(5) के खण्ड-(ख) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत डा0 भानु दुग्गल, प्रोफेसर एण्ड हैड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त और 05 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह0/-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या- 28343 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश, देहरादून।
5. डा0 भानु दुग्गल, प्रोफेसर एण्ड हैड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश, देहरादून।
6. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Raman

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।